अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1- बी0एन0लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र- 21/2013 दिनाँक:लखनऊ:दिसम्बर 13 2013

सेवा में,

1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।

विषय: मा0 उच्च न्यायालय में जमानती प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार टिप्पणी में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।

.....

कृपया संयुक्त निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-अभि-प्र0आ0-उ0न्या0/7628/2013 दिनाँक 10-2-2013(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इस मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि थाने से जमानत प्रार्थना पत्रों पर जो प्रस्तरवार टिप्पणी आती है उसमें अलग से अभियुक्त/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास संलग्न रहता है । ऐसे में यह दृष्टान्त सामने आये हैं कि अभियुक्त के आपराधिक इतिहास वाले पृष्ठ को फाड़कर अलग कर दिया जाता है जिससे अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जमानत के स्तर पर लाभ प्राप्त हो सकने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है ।

2- शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि अभियुक्त/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास अभियुक्त की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में आपराधिक इतिहास वाले प्रस्तर के उत्तर में प्रस्तरवार टिप्पणी पर ही अंकित किया जाय । यदि प्रस्तरवार टिप्पणी के प्रस्तर में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में न लिखा हो तो प्रस्तरवार टिप्पणी समाप्त होने के पश्चात् अतिरिक्त कथन में आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया जाय । इस कार्यवाही से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास छिपाने की सम्भावना लगभग नगण्य हो जायेगी ।

3- अत: निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये परामर्श का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अभियुक्तगण की जमानत के समय आपराधिक इतिहास होने के कारण जमानत का प्रबल विरोध हो सके ।

संलग्नक-यथोपरि ।

13-12-13

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

DG-X-G.O.-R.C.-Mis/2013

कार्यालय,संयुक्त निदेशक अभियोजन, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

संख्या–अभि0–प्र0आ0–उ0न्या0/7628/013 दिनांक 10.12.2013

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि माननीय शासकीय अधिवक्ता द्वारा मुझे बुलाकर यह कहा गया कि थाने से जमानत प्रार्थना पत्रों पर जो पैरावाइज कमेंट आता है, उसमें अलग से अभियुक्त/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास संलग्न रहता है। ऐसी दशा में यह देखने में आता है कि संलगनक में यह लिखा रहता है कि अभियुक्त/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास अलग से संलग्न है किन्तु खोंजने पर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास वाले पन्ने को ऐसे लोगों द्वारा फाड़कर अलग कर दिया जाता है। जिनको माननीय न्यायालय द्वारा जमानत के स्तर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह सलाह दी गयी है कि अभियुक्त/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास अभियुक्त के तरफ से दाखिल शपथ पत्र में आपराधिक इतिहास वाले पैरा के उत्तर में लिखा जाय और अगर पैरावाइज वाले पैरे में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में न लिखा हो तो पैरावाइज कमेंट के समाप्त होने के पश्चात अतिरिक्त कथन करके लिखा जाय। ऐसा होने पर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास छिपाने की सम्भावना लगभग नहीं के बराबर हो जायेगी।

अतः आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करते हुए सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को आदेशित करने का कष्ट करें कि सभी जनपदों से जब जमानत प्रार्थना पत्रों पर पैरावाइज कमेंट भेजा जाय तो आपराधिक इतिहास उपरोक्तानुसार लिखा जाय, जिससे आपराधिक इतिहास छिपने की सम्भावना समाप्त हो जाय और अभियुक्तगण की जमानत का प्रबल विरोध किया जा सके।

D.K. Srivastav

संयुक्त निदेशक अभियोजन,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

IG(P)(G)
A70DGP 10-12-13

SPO

पुलिस महानिरीक्षक (लोक शिकायत)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ

11/12/13